न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 86/2021

उनवान

सुबान पुत्र अजमाल जाति चीता निवासी चाट सरदारपुरा, नसीराबाद
—— वादीगण :– जरिये अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

1. दुला (तर्क)
2. कूका पि. अकबर,
3. सायरी पत्नी मुशी,
4. मोती खां पुत्र मुंशी,
5. नर्बदा,
6. छोटी पि0 मुंशी,
7. मीरा पत्नी मनमोहन जाति चीता नि. चाट सरदारपुरा, नसीराबाद,
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद ——

प्रतिवादी :– 2 से 7 अनुपस्थित
8 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :– 29/5/24

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चाट सरदापुरा में वादी की पुश्तेनी काश्तकारी/खातेदारी की भूमि स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख0न0	रकबा	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
1186	39–15–04 में से 3–10–0	1755	3–10–0	1137	0.05
				1138	0.04
				1167	0.05
				1168	0.03
				1166	0.07
				1181	0.04
				1182	0.06
				1183	0.08
				1184	0.15

उक्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 1186 रकबा 39–15–04 में से 3–10–0 आराजी वादी के पिता अजमाल को आवंटित हुई [illegible] दिनांक 12.01.1983 से वी के पिता के नाम दर्ज हुयी वादी के पिता की मृत्यु [illegible] बाद वादी के नाम उक्त भूमि का पूर्ण हिस्सा दर्ज करने के बजाय वादी [illegible] नाम 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया। जबकि अजमाल के वारिस वादी व उसकी [illegible] अपना हिस्सा वादी के नाम परित्याग कर दिया है अतः प्रकरण में उसे पक्षकार नही ब[illegible] गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:24:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा पर 3/4 हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम त्रुटिपूर्ण अंकन कर दिया है। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है अतः वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने व उसके वारिस पूर्व में पक्षकार होने से उसका नाम तर्क किया गया।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने से प्रकरण में तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार खैसाला खसरा नम्बर 1186 रकबा 3–10–0 वादी के पिता अजमाल पुत्र अबिर को आवंटित हुआ था। जिसका अंकन नामान्तकरण संख्या 579 दिनांक 12.01.83 से वादी के पिता के नाम हुआ। चौसाला खसरा नम्बर 1186 का कुल रकबा 41–4–0 है। वादी ने अपने वाद में चौसाला खसरा नम्बर 1186 के वंर्किग खसरा नमबर 1755 रकबा 3–10–0 के हाल खसरा नम्बर बाबत ही वाद पेश किया है। चौसाला खसरा नम्बर के अन्य वंर्किग खसरा नम्बर व उउनके हाल खसरा नमबर की सिथति वादी ने अपने वाद में स्पष्ट नही की है नाही चौसाला खसरा नम्बर 186 के सम्पूर्ण रकबे व उसके वंर्किग खसरा नम्बर का राजस्व अभिलेख वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वादी के पिता को चौसाला खसरा नम्बर 1186 रकबा 41–4–0 में से आंशिक रकबा 3–10– ही आवंटित हुआ था। अतः चौसाला खसरा नम्बर की समपूर्ण स्थिति स्पष्ट किये बिना हाल इन्द्राज त्रुटीपूर्ण नही कहा जा सकता है। वादी अपने वाद में अंकित कथन सिद्व करने में सफल नही रहा है।

उक्तानुसार ग्राम चाट सरदापुरा के चौसाला खसरा नम्बर 1186, वंर्किग खसरा नम्बर 1755 रकबा 3–10–0 के हाल खसरा नम्बर 1137, 1138, 1167, 1168, 1166, 1181, 1182, 1183, 1184 पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:24:49 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सुबान बनाम दुला

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136, भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 86 / 2021
पेश करने की दिनांक – 02.08.21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रमेश रावत मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम चाट सरदापुरा के चौसाला खसरा नम्बर 1186, वर्किंग खसरा नम्बर 1755 रकबा 3–10–0 के हाल खसरा नम्बर 1137, 1138, 1167, 1168, 1166, 1181, 1182, 1183, 1184 पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:24:49 IST
Reason: SelfAttested